

प्रेस नोट

*जनपद – संतकबीरनगर *

दिनांक 07.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 224 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 224 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत दबिश के दौरान 29 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पिछले दो दिनों में जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 29 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01 शिवसागर पुत्र मोतीलाल निवासी अब्बासगंज, 02 सलमान अफजल पुत्र बसीर अहमद निवासी छपिया छितौना 03 शमसुद्दीन पुत्र मंजूर अली निवासी करमा खान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह, उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 राम विनय यादव, का0 सोनू यादव, क0 अमरजीत यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 08 वारण्टी नाम पता 01. परमदेव चौहान पुत्र राजलाल, 02 शेरू चौहान पुत्र धरमदेव निवासीगण ग्राम दुधरा कला, 03 विश्वनाथ पुत्र राजकुमार, 04 जगरनाथ पुत्र अच्छेलाल, 05 अवधेश पुत्र विजय कुमार निवासीगण ग्राम भैसाखूट 06 अमरेन्द्र सिंह उर्फ जयसिंह पुत्र झिनकान सिंह उर्फ भालचन्द्र निवासी ग्राम हकिमपुर 07 सीताराम उर्फ भगड़ पुत्र अधारे निवासी ग्राम भोतहा 08 निरहू पुत्र रामबृक्ष निवासी बन्हैती थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा 13 वारण्टी नाम पता 01 राजकुमार पुत्र मंगल निवासी ग्राम परवता, 02 रामसिंह पुत्र रामभजन निवासी ग्राम शंकरपुर उर्फ वक्तूपुर 03 रविन्द्र पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम टिकुईकोलबाबू 04 हरिश्चन्द्र पुत्र रामसुमेर 05 शिवनाथ पुत्र हरिश्चन्द्र 06 राजनाथ पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण ग्राम भैसहीजोत 07 उद्रेश पुत्र रामबली निवासी ग्राम कोदवट 08 योगेन्द्र पुत्र लालमन नाथनगर 09 गुड्डू पुत्र रामनेवास निवासीगण ग्राम नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

10 अशरफ पुत्र मुस्लिम निवासी 11 सद्दाम पुत्र मुस्लिम निवासी 12 अशोक यादव पुत्र गोमती प्रसाद 13 आदित्य यादव पुत्र अशोक यादव निवासीगण ग्राम गालिमपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, उ0नि0 श्री अजीत सिंह, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री ललितकांत यादव, हे0 का0 नूरुद्दीन खान, का0 रितेश यादव, हे0का0 श्रीकान्त यादव, का0 बब्बल यादव, का0 विजय कुमार गौतम, का0 अजीत गुप्ता, का0 राजमंगल यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 01 वेद प्रकाश पाण्डेय पुत्र रामशुद्धि उर्फ रामसुबी पाण्डेय निवासी पुरैना थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 उमेश यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 01 झीनक पुत्र भूलन प्रसाद निवासी भटपुरवा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामनयन आर्या।

थाना धर्मसिंहव पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01 राजदेव पुत्र लखराज निवासी झौवा कोमर 02 पुष्पा पत्नी कुशहर निवासी इटौवा 03 रामदरश यादव पुत्र मुकुट यादव निवासी जमयाताल थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, उ0नि0 श्री विनय कुमार, का0 दीपक खरवार, का0 रणजीत यादव, म0का0 पूनम गौड़।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.03.2026 को *माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर* द्वारा 01 अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

दिनांक 16.08.2012 को वादी थानाध्यक्ष बखिरा श्री राकेश यादव की तहरीर के आधार पर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्त जाफर उर्फ टिकु बंजारा पुत्र नबी बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 562/2012 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री कुशल पाल यादव द्वारा सम्पादित की गयी।

सजा का विवरण- मु0अ0सं0 562/2012 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 409/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता जय प्रकाश गौड़ पुत्र स्व0 विश्वनाथ गौड़ निवासी असनार थाना शिव नगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर को कठिनश्रुत पुलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 24.11.2025 को थाना दुधारा पर वादी की बहन को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*- उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, का0 गूड्डू यादव।**